

तिथिबद्ध/अति आवश्यक

प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में

1. निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी, हरियाणा, गुडगांव
2. सभी जिला शिक्षा अधिकारी/मौलिक शिक्षा अधिकारी
3. सभी प्राचार्य, डाईट/ गैटी

यादी क्रमांक 15/11-13 एच0 आर0 एल0 (4)  
दिनांक पंचकूला। 22/2/13

विषय: प्राध्यापकों के पद पर पदोन्नति हेतु मामले भेजने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

मास्टर/मिस्ट्रेसिज व सी एण्ड वी अध्यापकों की भिन्न-भिन्न विषयों में पदोन्नति हेतु निम्नलिखित अनुसार योग्यता पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के प्राध्यापकों के पद पर पदोन्नति हेतु मामले शीघ्र भेजे जाये।


क्रं	विषय	नियमित तिथि	एम.ए. पास करने की तिथि
1.	जीव विज्ञान	31.12.2009	जून/ जुलाई 2012
2.	रसायन शास्त्र	31.12.2009	जून/ जुलाई 2012
3.	अर्थशास्त्र	31.12.1995	जून/ जुलाई 2012
4.	अंग्रेजी	31.12.1998	जून/ जुलाई 2012
5.	फाइन आर्ट	31.12.2006	जून/ जुलाई 2012
6.	हिन्दी	01.04.1993	जून/ जुलाई 2012
7.	इतिहास	31.12.1996	जून/ जुलाई 2012
8.	गृह विज्ञान	31.12.2007	जून/ जुलाई 2012
9.	गणित	31.12.1998	जून/ जुलाई 2012
10.	संगीत	31.12.1992	जून/ जुलाई 2012
11.	शारीरिक शिक्षा	30.09.1988	जून/ जुलाई 2012
12.	भौतिकी	31.12.2009	जून/ जुलाई 2012
13.	राजनीति शास्त्र	31.12.1990	जून/ जुलाई 2012
14.	मनोविज्ञान	31.12.2000	जून/ जुलाई 2012
15.	पंजाबी	31.12.1995	जून/ जुलाई 2012
16.	संस्कृत	31.12.1993	जून/ जुलाई 2012
17.	समाज शास्त्र	31.12.2005	जून/ जुलाई 2012
18.	उर्दू	31.12.1995	जून/ जुलाई 2012

कर्मचारियों के पदोन्नति मामले पूर्ण रूप में दोहरी प्रति सहित जांच व शिकायत सत्यनिष्ठा संदेहजनक न होने बारे तथा कोर्ट केस लम्बित न होने बारे प्रमाण पत्र व उनकी पूर्ण निजी मिसल वर्ष 2013 तक की गोपनीय रिपोर्ट/समरीशीट सहित भेजे जायें। कर्मचारी सम्बन्धित विषय में एम0ए कम से कम 50 प्रतिशत अंको सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग्यता प्राप्त हो तथा फिडर काडर में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव पूर्ण करता हों

उक्त पदोन्नति मामले दिनांक 31.03.2013 तक हर अवस्था में निदेशालय में भेजे जाये तथा कोई भी लैफ्टआउट मामला रह जाता है तो उसके लिए सम्बन्धित कर्मचारी/ अधीक्षक तथा जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसे गम्भीरता से लें।

नोट:- पदोन्नति मामले भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि पदोन्नति मामले नये नियम दिनांक 12.4.2012 में कवर होते हो। यदि किसी स्तर पर गलती पाई जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित कर्मचारी/ अधिकारी अनुशासनिक कार्यवाही के पात्र होंगे।

संलग्न/ समरी शीट प्रोफार्मा

  
उप निदेशक प्राध्यापक  
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा  
हरियाणा पंचकूला

**SUMMARY SHEET**

Name and Designation ..... D.O.B ..... Name of  
the School : ..... Date of Appointment Adhoc ...../ Regular  
..... Date of passing ..... Marks obtained : .....

Name of University \_\_\_\_\_

Sr. No.	Year	Grading	Overall Grading	Integrity	Remarks
1.	2002-03				
2.	2003-04				
3.	2004-05				
4.	2005-06				
5.	2006-07				
6.	2007-08				
7.	2008-09				
8.	2009-10				
9.	2010-11				
10.	2011-12				

**Total Record**

**Concerned Clerk/ Assistant**

**Deputy Superintendent/ Superintendent**

**There is no complaint/ enquiry, Court Cases and integrity pending against the employee.**

**Countersign by  
Director SCERT/  
DEO/DEEO/  
Principal DIET/GETTI**